



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28052021-227209
CG-MH-E-28052021-227209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943

No. 206]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISHTHA 7, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 19 अप्रैल 2021

सं. टीएएमपी/39/2020-डीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की वर्तमान दर संरचना की वैधता का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या: टीएएमपी/39/2020-डीपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मार्च, 2021 के 16वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की वैधता के विस्तार के लिए डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2. डीपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता का पिछला विस्तार डीपीटी के अनुरोध पर 07 सितम्बर, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/20/2010-केपीटी के द्वारा 31 दिसम्बर, 2020 तक अथवा डीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित किराये की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, किया गया था। उक्त विस्तार, 31 दिसम्बर, 2013 को लागू दरों पर 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ किया गया था।

3.1 बाद में, डीपीटी ने 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के लिए गांधीधाम नगर-क्षेत्र भूमि की दर संरचना के संशोधन के लिये प्रस्ताव दायर किया। हितधारकों के साथ निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया अपनायी गयी और सभी संबंधितों के साथ संयुक्त सुनवायी का आयोजन भी किया गया। इस प्राधिकरण द्वारा 16 मार्च 2021 के आदेश संख्या टीएएमपी/39/2020-डीपीटी के द्वारा पत्तन द्वारा यथाप्रस्तावित 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के लिए डीपीटी की गांधीधाम नगर-क्षेत्र भूमि के पट्टा किरायों का संशोधन अनुमोदित किया गया था। उक्त आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित पट्टा किराये 01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर, 2018 तक 2% की वार्षिक वृद्धि के अधीन हैं। अतः 31 दिसम्बर, 2018 को लागू पट्टा किराये इस प्राधिकरण द्वारा 16 मार्च 2021 के आदेश द्वारा अनुमोदित संशोधित पट्टा किराये होंगे। उक्त मामले की प्रक्रिया के दौरान, डीपीटी ने बताया था कि वे 31 दिसम्बर, 2018 के आगे पट्टा किरायों के संशोधन के लिये अलग से प्रस्ताव दायर करेंगे। डीपीटी ने 31 दिसम्बर, 2018 के आगे गांधीधाम नगर-क्षेत्र भूमि के पट्टा किरायों के संशोधन के लिये अभी तक कोई प्रस्ताव दायर नहीं किया है।

3.2 31 दिसम्बर, 2018 के आगे की अवधि के लिये डीपीटी द्वारा प्रस्ताव दायर करने और मामले की संक्रिया में कुछ समय लगेगा और चूंकि गांधीधाम नगर-क्षेत्र भूमि की दर संरचना की पिछली विस्तारित वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त हो गयी है, इसलिये यह प्राधिकरण 16 मार्च 2021 के उक्त आदेश में यथा अनुमोदित संशोधित पट्टा किरायों की वैधता अवधि में 1 जनवरी, 2021 से 30 जून 2021 तक अथवा अथवा डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर 31 दिसम्बर, 2020 से आगे संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना की तारीख तक, जो भी पहले हो, डीपीटी द्वारा यथावांछित, विस्तार करता है।

4.1 संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश 2014, यानी भू प्रबंधन नीति दिशानिर्देश, 2015 (पीजीएलएम 2015) (जिसके आधार पर डीपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना नियत की गई थी) अनुबद्ध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तब तक होती रहेगी जब तक उनका संशोधन इस प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, के अनुरूप संशोधित दर संरचना 31 दिसम्बर, 2018 तक पट्टा किरायों में 2% की वार्षिक वृद्धि निर्धारित करती है। ऐसी स्थिति में, डीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की विस्तारित अवधि के दौरान पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर जारी रहेगी। इसलिये, 1 जनवरी, 2021 को पट्टा किराया निकालने के लिये डीपीटी को 31 दिसम्बर 2018 से पट्टा किरायों में प्रत्येक वर्ष यानी 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021, तक 2% की वार्षिक वृद्धि लागू करनी होगी।

4.2 इस संबंध में यह नोट किया जाए कि 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ मौजूदा पट्टा किरायों का विस्तार वर्तमान परिदृश्य में निर्वात से बचने के लिए अंतरिम व्यवस्था है। इस बारे में डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर गांधीधाम टाउनशिप के लिए निर्धारित पट्टा किराया को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना होगा, जैसा कि डीपीटी ने अनुरोध किया है।

5. परिणाम में और सामूहिक विचार-विमर्श के उपरांत ऊपर बताये गए कारणों से इस प्राधिकरण द्वारा 16 मार्च 2021 के आदेश संख्या टीएएमपी/39/2020-डीपीटी के द्वारा डीपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की संशोधित दर संरचना की वैधता की तारीख को यह प्राधिकरण, 01 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि तक अथवा डीपीटी द्वारा प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./67/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 19th April 2021

No.TAMP/39/2020-DPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township land of Deendayal Port Trust (DPT) as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**Case No.TAMP/39/2020-DPT****Deendayal Port Trust**

- - -

Applicant**QUORUM:**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 16th day of March 2021)

This case relates to a proposal filed by Deendayal Port Trust (DPT) for extension of the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land of DPT.

2. The validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of DPT was last extended based on the request of DPT vide Order No.TAMP/20/2010-KPT dated 07 September 2020 from the date of expiry till 31 December 2020 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal filed by the DPT, whichever is earlier. The said extension was granted with annual escalation @2% on the rates applicable as on 31 December 2013.

3.1. Subsequently, the DPT has filed the proposal for revision of rate structure of Gandhidham Township land for the period from 01 January 2014 upto 31 December 2018. The prescribed consultation process with stakeholders was done and joint hearing with all concerned was held. This Authority vide Order No.TAMP/39/2020-DPT dated 16 March 2021 approved revised lease rent for Gandhidham Township land at DPT from 01 January 2014 upto 31 December 2018 as proposed by the Port. The revised lease rent approved by this Authority in the said Order is subject to annual escalation @2% from 01 January 2015 till 31 December 2018. Hence, the lease rent applicable as on 31 December 2018 shall be revised lease rent approved by this Authority vide Order dated 16 March 2021. During the proceedings of the said case, the DPT has stated that they shall file the proposal for revision of lease rent beyond 31 December 2018 separately. The DPT is yet to file the proposal for revision of rates of Gandhidham township land for the period beyond 31 December 2018.

3.2. Filing of proposal by the DPT for the period beyond 31 December 2018 and processing of the case will take some time and since the validity of the last extended rate structure for Gandhidham Township Land has expired on 31 December 2020, this Authority extends the validity of the revised lease rent as approved in the said Order dated 16 March 2021 from 01 January 2021 till 30 June 2021 or till the date of effect of notification of the lease rentals to be approved based on the tariff proposal to be filed by the DPT for the period beyond 31st December 2018, whichever is earlier as sought by DPT.

4.1. The amended Land Policy Guidelines of 2014 i.e. Policy Guidelines for Land Management 2015(PGLM 2015) issued by the Government (based on which the rate structure for Gandhidham Township Land of DPT has been revised by this Authority) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The revised rate structure prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till 31 December 2018 in line with the guidelines issued by the Government. That being so, the annual escalation @2% may continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Gandhidham Township Land as proposed by the DPT. Thus, to arrive at the lease rent as on 01 January 2021, DPT needs to apply annual escalation @2% on the lease rent as on 31 December 2018 for each of the years viz. 1 January 2019, 1 January 2020 and 1 January 2021.

4.2. It is to be noted in this regard that the extension of the revised lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Gandhidham Township based on the proposal to be filed by the DPT in this regard will have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, this Authority extends the validity of the revised lease rent for Gandhidham Township Land of DPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/39/2020-DPT dated 16 March 2021 for the period from 01 January 2021 till 30 June 2021 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./67/2021-22]